न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 10/2008

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 बालूराम पुत्र जोधाराम 2 जोवदी पुत्री जोधाराम जातिगण विश्नोई निवासीगण भैरूडी तहसील चौहटन, जिला बाडमेर		1 मोबताराम पुत्र अमलू 2 वरजू जोजे प्रेमा जाति विश्नोई निवासीगण वाडा नया तहसील भीनमाल जिला जालोर 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 8.6.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2007 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि सुरजन व अमलू की खातेदारी भूमि थी। अपीलाण्ट्स सुरजन की पुत्री कोयली के वारिशान है, जो सुरजन की पत्नि धमा की संतान थी। सुरजन एवं धमा के दो पुत्रियां कोयली एवं वरजू हुई। धमा फौत होने पर सुरजन का विवाह रूकमण के साथ हुआ। रूकमण के कोई सन्तान नहीं है। सुरजन फौत होने पर जैर अपील वादस्थ भूमि का नामान्तरकरण अकेले रूकमण के नाम दायर किया। इसके पश्चात रूकमण द्वारा उक्त भूमि वरजू को बेचान कर दी। वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही कोयली फौत हो चुकी थी। इस कारण कोयला के वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रूकमण ने अपने जवाबदावे में यह कथन किया कि कोयली रूकमण के पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पति से उत्पन्न सन्तान है एवं धमा की पुत्री नहीं है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रूकमण द्वारा इन तथ्यों के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद को साबित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्होने कोयली को सुरजन की संतान होना स्वीकार किया। यदि कोयली रूकमण की संतान होती, तो उसका Soft Corner कोयली के प्रति होता, वरजू के प्रति नहीं। अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत गवाह जाईता ने कोयली को सुरजन की पुत्री होना बताया, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे दुर्भिसंधी बता दिया। इसके अतिरिक्त जो जवाबदावा प्रस्तुत हुआ, उसमें रूकमण द्वारा यह नहीं कहा कि कोयली मेरे पूर्व पति से उत्पन्न हुई संतान है। कोयली को खुद की पुत्री साबित करने की जिम्मेदारी भी रूकमण की थी, जो उसके द्वारा साबित नहीं किया गया। इसके पश्चात रूकमण के भाई दोलाराम ने कोयली को सुरजन की पुत्री होना बताया तथा यह भी कथन किया कि कोयली व वरजू सगी बहनें है। उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया तथा इन्हे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दर्शाया। रूकमण द्वारा एक तरफ तो भूमि को वरजू को बेचान किया, वहीं दूसरी ओर इसी भूमि का वसीयतनामा वरजू के पक्ष में निष्पादित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई गौर किए, तनकीयात को विधि विरूद्ध रूप से विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो कायम रखने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि पूर्व में सुरजन की खातेदारी भूमि थी, जो सुरजन फौत होने पर रूकमण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर में अपील दायर हुई, जो खारिज हुई। रूमकण द्वारा उक्त भूमि का बेचान वरजू को किया। अपीलाण्ट की माता सुरजन की संतान नहीं होकर रूकमण के पूर्व पति की संतान थी। स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कोयली को रूकमण की पुत्री होना स्वीकार किया है, जबकि दावे के कथन इससे विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए है, उन्होने कोयली को सुरजन की पुत्री नहीं माना है। जब अपीलाण्ट कोयली को सुरजन की जायन्दा पुत्री साबित ही नहीं कर पाए, तो उसका अधिकार किस प्रकार दिया जा सकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत समस्त दस्तावेजात् का विवेचन करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है, उसका एक मात्र आधार यह लिया गया कि जैर अपील वादस्थ भूमि सुरजन की खातेदारी भूमि थी तथा अपीलाण्ट्स की माता कोयली को सुरजन की जायन्दा पुत्री होने के कारण उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि में से कोयली के हक हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में सुरजन की द्वितीय पत्नी रूकमण द्वारा कोयली को अपने पूर्व पति से उत्पन्न सन्तान होना बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोयली को सुरजन की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होना बताते हुए वाद खारिज करने का अनुतोष चाहा। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई है, वे समस्त तनकीयात मुख्य रूप से तनकी संख्या 1 के निर्णय पर निर्धारित होती है। तनकी संख्या 1 इस प्रकार है – ''आया वादी संख्या 1 की पत्नी व वादी संख्या 2 व 3 की माता स्वर्गीय कोयली, सुरजन पुत्र गणेशा जाति विश्नोई निवासी वाडा नया की जायन्दा पुत्री है, जिससे स्व0 कोयली सूरजन पुत्र गणेशा की खातेदारी विवादित आराजी में अपने हिस्से की भूमि पाने की हकदार होने से वादीगण स्व0 कोयली के वारिशदार होने से अपने हिस्से की आराजी पाने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण। इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने हेतु वादी पक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने अपने गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए है, जिसमें वादी पक्ष की ओर से सुरजन का भाई किशनाराम पुत्र धनाजी, बंशीलाल पुत्र चोखाजी, करनाराम पुत्र भागचन्द, स्वयं वादी बालुराम पुत्र जोधाजी, रूकमा का चचेरा भाई लालाराम पुत्र भागचन्द, धमा का सगा भाई दौलाराम पुत्र जीवणजी तथा पुखराज राव मुख्य परीक्षण में परीक्षित हुए, जिन्होने कोयली को सुरजन की सन्तान एवं वरजू की बडी बहिन होना स्वीकार किया। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष की ओर से स्वयं प्रतिवादी वरजू, उदा पुत्र गुणेशा, जगराम पुत्र धुडा परीक्षित हुए, जिन्होने कोयली को सुरजन की जायन्दा सन्तान होने से इन्कार किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के विनिश्चिय में राव की बही को संदिग्ध माना है, किन्तु उसकी संदिग्धता किस आधार पर सुनिश्चित की गई, उसका विस्तृत आधार अंकित नहीं किया है। मात्र कयासी आधारों पर दस्तावेजात् की प्रमाणितकता को संदिग्धता का रूप दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अब जहां प्रश्न साक्ष्य का है, तो आर0एल0डब्ल्यू0 1990(2) पेज 543 के अनुसार माननीय न्यायाधीश श्री ए.के.माथुर एव श्री बी.आर.आरोड़ा द्वारा डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1786/1986 शौखन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 31.07.1990 को पारित निर्णय में प्रतिपादित किया कि ''साक्ष्य अधिनियम –''साक्ष्य'' की परिभाषा–यह दो प्रकार की होता है, मौखिक अथवा दस्तावेजी– जब अधिनियम के अन्तर्गत मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है एवं सत्य है, जब यह नही कहा जा सकता है कि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के कारण मौखिक साक्ष्य रद्द कर दिया जावे–पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि वे उचित साक्ष्य उपयुक्त पीठ के सम्मुख प्रस्तुत करें'' इस निर्णय के पद संख्या 9 में विनिर्दिष्ट किया कि ''We have gone throught the order passed by the Board in all the writ petitions and we find that in all the judgments given by the Board they are laboring under the misconception that in absence of documentary evidence, the right of the parties cannot be adjudicated is wholly incorrect premises. The "evidence" has been defined under the Evidence Act 1872 (herein after referred to Act 1872) which reads as under:

"Evidence" "Evidence means and includes:-

(1) all ststements which the Court permits or requires to be made before if by eitnesses, in relation to matters of fact under inquiry; such statements are called oral evidence ;

(2) all documents produced for the inspection of the Court ; such documents are called documentary evidence

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

That evidence consistent of two kind, namely, oral or the documentary evidence is dealt in Chapter IV of the Act 1872 and the the documentary evidence has been mentioned in Chapter V of the Act 1872. Therefoer, it is wrong to say that the matter cannot be decided on the basis of the oral evidence. It is a different matter that the oral evidence ied by petitioner may not be accepted by the trial court for good reasons, but to say that no documentary evidence has been led, therefore, all the oral evidence is to be rejected and the decree passed by the competent Revenue court is to be set aside, is wholly erroneous. It is matter of common experience that in cases of long possession, it is difficult to get documentary evidence, but if oral evidence is truthful and is admissible under the Act 1872 then it is wrong to say that since documentary evidence has not been produced, therefore, oral evidence is to be rejected. If the Assistant Collector finds that oral evidence is not truthful, or unreliable, then in that case he may not place reliance on such oral evidence and can reject the suit. But if he finds that oral evidence is a truthful, admissible under the law and is reliable, then in that case, it is always open for the trial court to act upon the oral evidence and decree the suit as the case may be, but unfortunetly the learned Board under the misconception that since no documentary evidence has been led, therefore, suit is rejected, has committed an apparent error. We are sorry to say that we do not agree with this approach to the learned Member of the Board of Revenue.At the same time, we regret to say that no documentary evidence has been produced by the State was equally party before the Assistant Collector in suit filed by the petitioner. If there was come documentary evidence available with the State so as to negative the claim of the petitioner, then they could have led the same in evidence in accordance with law, but that has also not been done. Instead of going into this aspect here, we deem it proper that let both the parties may produce proper evidence at the proper forum so that the issue can be debated objectively in the light of the observations made aforesaid.

10. In the result we allow this writ petition and all the writ petitions mentioned in the Appendix and quash the orders of the Board of Revenue and the judgment passed by Assistant Collector and remand this case back to the Assistant Collector so as to permit the petitioner as well as the State to lead the proper evidence i.e. the oral or documentary and let the Assistant Collector may decide the matter afresh in accodance with law.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को वादीगण के विरूद्ध विनिश्चित करने का एक कारण यह भी अंकित किया कि बालूराम की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें कोयली को रूकमण की जायन्दा सन्तान बताया है, जो दावे के कथनों के विपरित है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र को देखा जाए, तो उसमें बालूराम द्वारा कोयली एवं वरजु दोनों को ही रूकमण की जायन्दा सन्तान होना बताया है तथा उसके का0मु0 वारिशान होना भी अंकित किया है, जो सद्भाविक तौर पर किया गया है। इससे यह पुख्ता प्रमाणित नहीं होता कि कोयली, सुरजन की संतान नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में तनकी संख्या 1 के विनिश्चय में वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज करते हुए जिस प्रकार से तनकी संख्या 1 को विनिश्चित किया गया है, उसे विधि सम्मत एवं समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त तनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

संख्या 1 के विनिश्चिय की निरन्तरता में अन्य तनकीयात के विनिश्चिय भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित जैर अपील निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2003 जोधाराम वगैरा बनाम रूकमण वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2007 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Obesrvation के आधार पर पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कानूनी परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर